

अप्रैल 15, 2023

# आयकर अपडेट

धारा 43बी(एच) में संशोधन



## MSME को भुगतान - कटौतियाँ और अस्वीकरण

आदरणीय Client,

सर्वप्रथम हमारी ओर से नव वित्तीय वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष पहले से कहीं अधिक आशाजनक और समृद्ध हो!

CBDT ने सभी आयकर दाताओं (व्यवसाय/पेशे से कमाई करनेवाली संस्थाओं) के लिए MSME को एक निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसे भुगतानों को Expenses/Purchases के रूप में claim करने के लिए। आयकर अधिनियम में इस बदलाव का दूरगामी प्रभाव होगा और यदि इसका अनुपालन नहीं किया गया तो निर्धारितियों पर भारी कर देनदारियां आ सकती हैं। इस एक संशोधन में प्रत्येक उद्योग के कार्यशील पूंजी चक्रों (Working Capital Cycle) में एक बड़े बदलावकी शुरुआत करने की क्षमता है। बकाया राशि का शीघ्र निपटान और वसूली से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर गहरा असर पड़ेगा। निम्नलिखित एक प्रयास है, जिससे आपको आयकर अधिनियम में इस तरह के संशोधन के महत्व को समझने में मदद मिलेगी।

### संशोधन:

वर्तमान आयकर धारा 43B में कहा गया है कि निर्धारित देय तिथि के भीतर भुगतान करने पर ही खर्च स्वीकार्य (Expenses/Purchase claim) होगा। हालांकि, धारा 43B के प्रावधान में कहा गया है कि यदि इस तरह के भुगतान निर्धारित देय तिथियों के बीच नहीं होते हैं, लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथिसे पहले होती है, संबंधित वित्त वर्ष के लिए कटौतीकी अनुमति दी जाएगी, नकि उस वित्त वर्षके लिए जिसमें यह भुगतान किया गया है। संशोधन को धारा 43B(h) के रूपमें पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि MSME विक्रेता को निर्धारित देयतिथि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो व्यय/खरीद (Expenses/Purchase) की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन उपरोक्त परंतुक (Proviso) धारा 43B(h) परलागू नहीं होता है और इसलिए, भले ही भुगतान IT रिटर्न दाखिल करने से पहले किया गया हो, लेकिन 45 दिनों की देय तिथिके बाद, खर्चों में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निजी परिसंचरण के लिए

## संशोधन हाइलाइट्स

MSME को समय पर भुगतान से जुड़ी कटौतियां

देर से भुगतान भारी कर प्रभाव को आकर्षित करेगा

उद्योग की भुगतान चक्र प्रणाली के बावजूद

ब्याज सहित भुगतान की गई राशि की भी अनुमति नहीं है

यदि सही भावना से लागू किया जाता है, तो संशोधन में आर्थिक गतिविधियों की एक नई लहर की शुरुआत करने की क्षमता है

M/s. R I Nilange & Co.,  
Chartered Accountants  
3 & 4, IInd Floor, Sudha Gauri  
Arcade, Besides Cosmos Bank, Jalna  
Road, Chh. Sambhajinagar  
(Aurangabad) Maharashtra 431001  
India

amar@rinilange.co.com  
+91 95612 95544

**निर्धारित देय तिथियां:**

MSME अधिनियम की धारा 15 के अनुसार:

- यदि MSME विक्रेता और ग्राहक के बीच कोई समझौता है, भले ही बिक्री के भुगतान के लिए सहमत अवधि 45 दिनों से अधिक हो, भुगतान MSME विक्रेता को अधिकतम 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- यदि MSME विक्रेता और ग्राहक के बीच कोई अनुबंध नहीं है, तो अधिकतम 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

**एमएसएमई (MSME):**

MSME विकास अधिनियम 2006 के तहत आपूर्तिकर्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इसलिए सूक्ष्म या लघु उद्यम जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, धारा 43B(h) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे।

आगे यह समझा जाना चाहिए कि भले ही अधिनियम 45 दिनों की देय तिथि के बाद भुगतान करने पर खर्चों की अस्वीकृति करता है, हम फिर भी उस व्यय को उसी वर्ष में खरेदी / व्यव का claim कर सकते हैं यदि हम उसी आर्थिक वर्ष के अंदर उस MSME वेंडर को उसका भुगतान करें। इसका मतलब है, अगर Invoice date है 01.05.2023 और भुगतान 45 दिनों की देय तिथि के बाद किया जाता है, लेकिन FY23-24 के भीतर ही, भुगतान के आधार पर उक्त की अनुमति दी जाएगी। इसलिए, यदि 15/45 दिनों की देय तिथि के बाद भुगतान किया जाता है तो केवल वर्ष के अंत में बकाया भुगतान अस्वीकृत हो जाएगा।

ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां माल में कुछ दोष या सेवा के प्रावधान में कमी देखी जाती है और खरीदार इस स्थिति में आपत्ति व्यक्त करता है, देय तिथि की गणना उस तिथि से की जाएगी जब MSME Vendor आपत्ति का समाधान करता है। हालांकि, खरीदार द्वारा MSME Vendor को लिखित रूप में आपत्ति व्यक्त की जानी आवश्यक है।

ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक कंपनी MSME Vendor को चेक जारी करता है और किसी कारण से; MSME Vendor नियत तारीख के भीतर इसे भुना (encash) नहीं कर पाता है। ऐसे परिस्थिति में, CIT बनाम हिंदुस्तान वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड [2002] के तहत अस्वीकृति के मामले में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 43B आकर्षित नहीं होनी चाहिए।

कानून में बदलाव को समझने के लिए इनवॉइस की तारीख और भुगतान की तारीखों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

Inv Dt	Due date (within 45 days)	Paid dt	Amount	Claim as purchase / expenditure in Financial Year	Disallowance of purchase / expenditure and addition to income in FY
10.04.2023	25.05.2023	31.03.2024	10,00,000	FY 2023-24	No disallowance
10.04.2023	25.05.2023	01.04.2024	10,00,000	FY2024-25	FY2023-24
10.04.2023	25.05.2023	4,00,000 on 31.12.23 and remaining on 01.04.23	10,00,000	FY2023-24 4,00,000 and FY2024-25 6,00,000	FY2023-24 6,00,000
01.03.2024	15.04.2024	20.04.2024	10,00,000	FY2024-25	FY2023-24
01.03.2024	15.04.2024	15.05.2024	10,00,000	FY2023-24	No disallowance

**कुछ प्रश्न:**

1. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B(h) में क्या संशोधन है?

- यदि MSME Vendor को खरीदे गए सामान या खरीदी गई सेवाओं के लिए निर्धारित देय तिथि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यय (Expenses) को अस्वीकार कर दिया जाएगा और प्राप्तकर्ता की आय में वापस जोड़ दिया जाएगा।

2. MSME Vendors को भुगतान की नियत तारीखें क्या हैं?

- MSME विक्रेताओं को भुगतान के लिए निर्धारित देय तिथियां निम्नलिखित दो शर्तों पर निर्भर करेंगी:
  - यदि MSME विक्रेता और ग्राहक के बीच भुगतान शर्तों के संबंध में कोई समझौता है, तो समझौते में उल्लिखित 45 दिनों से अधिक की अवधि के बावजूद, MSME विक्रेता को भुगतान की निर्धारित देय तिथि Invoice की तिथि से 45 दिन होगी / माल की प्राप्ति जो भी बाद में हो।
  - यदि ऐसा कोई अनुबंध नहीं है, तो MSME Vendor को भुगतान की नियत तिथि माल के Invoice date/प्राप्ति की तिथि से 15 दिन, जो भी बाद में हो, होगी।

3. यदि MSME Vendor को भुगतान निर्धारित तिथियों के भीतर नहीं किया जाता है तो क्या होगा?

- जहां भुगतान निर्धारित नियत तारीखों के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यय/खरीद को व्यवसाय या पेशे से आय की गणना करते समय आय के विरुद्ध कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. क्या होगा यदि भुगतान केवल निर्धारित देय तिथि से परे विलंबित है, लेकिन बाद में भुगतान किया जाता है?

- व्यवसाय या पेशे से आय की गणना करते समय व्यय/खरीद भुगतान पर अनुमति दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि देरी के बाद भी, यदि भुगतान उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है, जिस वित्तीय वर्ष में इनवॉइस की तारीख है, तो व्यय/खरीद कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। लेकिन यदि भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन भी किया जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए व्यय/खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका चालान संबंधित है और भुगतान वास्तव में होने पर अगले वित्तीय वर्ष में व्यय/खरीद की अनुमति दी जाएगी।

5. बिक्री लेनदेन के संबंध में दर, गुणवत्ता, मात्रा या किसी अन्य मुद्दे के संबंध में कोई समस्या होने पर क्या किया जाना चाहिए?

- यदि खरीददार को वस्तुओं या सेवाओं की दर, गुणवत्ता या मात्रा के संबंध में कोई समस्या है, तो खरीददार को तुरंत MSME विक्रेता को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए और 15/45 दिनों की अवधि इस तरह की खराबी की MSME विक्रेता द्वारा सुधारना करने पर शुरू होगी।

6. हमारे व्यापार/उद्योग में, भुगतान चक्र आमतौर पर 90 दिनों के लिए होता है। हम अपने उद्योग चक्र के अनुसार उसी क्रेडिट अवधि पर अपनी वस्तुएं/सेवाएं बेचते हैं। अगर हमें 15/45 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमारे कारोबार में एक बड़ा कार्यशील पूंजी अंतर (Working Capital Gap) होगा और हमारे नकदी प्रवाह (Cash flow) पर भारी प्रभाव पड़ेगा। क्या करें?

- व्यापार/उद्योग चाहे जो भी भुगतान चक्र अपनाता हो, भुगतान 15/45 के निर्धारित दिनों के भीतर किया जाना है। सरकार MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी वसूली के दर्द को कम करना चाहती है। आयकर कानून में यह बदलाव लंबे समय में आपूर्ति श्रृंखला के सभी खिलाड़ियों यानी निर्माता, वितरक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी (retail traders) और रसद (Logistics) प्रतिभागियों के लिए समग्र भुगतान चक्र में सुधार करेगा। अर्थव्यवस्था में एक बेहतर और स्वस्थ नकदी प्रवाह के साथ, उच्च आर्थिक गतिविधि होगी और जीडीपी में और योगदान देगी।

7. कैसे पहचान करें कि विक्रेता MSME है या गैर-MSME?

- प्राप्तकर्ता को विक्रेता के उद्यम आधार पंजीकरण विवरण के लिए पूछना चाहिए। यह अच्छा रहेगा यदि विक्रेता अपने Invoice पर, उद्यम आधार पंजीकरण संख्या का उल्लेख करता है और आगे इस आशय का प्रमाणपत्र देता है कि यह MSME अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है।

## FAQs

8. खुद को सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए क्या मानदंड हैं?

Particulars	Turnover in Previous Financial Year	Investment in Plant & Machinery
Micro Enterprise	INR 0 – 5 Crores	INR 0 – 1 Crores
Small	INR 5 – 50 Crores	INR 1 – 10 Crores
Medium	INR 50 – 250 Crores	INR 10 – 50 Crores

- MSME अधिनियम के अनुसार सभी MSME कौन हैं, यह समझने के लिए उपरोक्त सीमाएं हैं। उपरोक्त किसी भी ब्रैकेट में गिरने से MSME के रूप में एक इकाई नहीं बनती है। इसे आवश्यक विवरण प्रस्तुत करके MSME अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने और उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

9. संशोधन वास्तव में कैसे चलेगा?

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस नए संशोधन के तंत्र को दिखाने के लिए निम्नलिखित एक उदाहरण है:

Particulars	Amount
Sales	75 Cr
Cost of goods sold	70 Cr
Gross Profit	5 Cr
Sales and Admin Exp	2 Cr
Manpower Exp	0.50 Cr
Finance Costs	1 Cr
Depreciation	0.25 Cr
Net Profit taxable	1.25 Cr
Income tax payable @ 30%	0.375 Cr

## FAQs

उपरोक्त में से, निम्नलिखित भिन्न स्थितियाँ मौजूद हैं:

1. कुल COGS में से रु. 60 करोड़ MSME से संबंधित है और शेष रु. 10 करोड़ गैर-MSME विक्रेताओं से संबंधित हैं। MSME विक्रेताओं में से रु. 22 करोड़ का भुगतान 90 दिनों में किया गया था लेकिन वित्त वर्ष 23-24 के अंत से पहले;
  2. रु. 18 करोड़, अप्रैल, 2024 के पहले सप्ताह में, 15/45 दिनों के बाद भुगतान किया गया।
  3. रु. 20 करोड़, निर्धारित नियत तारीखों के 15/45 दिनों के भीतर भुगतान किया गया।
- FY23-24 के लिए आय की गणना तैयार करते समय, कर योग्य आय में निम्नलिखित समायोजन किए जाएंगे:

Particulars	Amount
Net Profit taxable	1.25 Crs
Add: Purchases/expenses disallowed U/s. 43B(h) for FY23-24 *	18.00 Crs
Total Taxable Income	19.25 Crs
Income Tax payable @ 30%	5.775 Crs

\*रु 18 करोड़ की अस्वीकृत राशि, भुगतान के वर्ष में यानी अगले वित्त वर्ष 2024-25 में उस वर्ष के लाभ के विरुद्ध खर्च/कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

10. पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के सम्बंधित मेरे MSME Vendor को राशि बकाया है। क्या नया संशोधन उस बकाया राशि पर भी लागू होता है?

- नहीं। 01.04.2023 को बकाया भुगतान वित्त वर्ष 2022-23 के खर्चों से संबंधित है। संशोधन उन भुगतानों पर लागू होता है जिनके संबंध में 01.04.2023 को और उसके बाद व्यय/खरीद का दावा किया जा रहा है। इसलिए, MSME विक्रेताओं को 15/45 दिनों के निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, जिसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खरीद/व्यय दर्ज किए गए हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. क्या MSME को भुगतान के संबंध में किसी अन्य अनुपालन का पालन किया जाना है?

- कंपनियों को MSMEs के लिए बकाया राशि (देय) के विवरण वाले MSME-1 फॉर्म को फाइल करना आवश्यक है। इस तरह के विवरण को अर्धवार्षिक आधार पर दाखिल करना आवश्यक है। FY23-24 के लिए यह बहुत मायने रखता है क्योंकि कॉर्पोरेट्स द्वारा MSMEs को देय बकाया राशि का पता लगाने के लिए आयकर अधिकारी RoC से इन फॉर्मों का उपयोग करेंगे।

यह संशोधन की गंभीरता और इससे होने वाले कर प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने का एक विनम्र प्रयास है। आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए नीचे दिए गए ईमेल या मोबाइल पर हमारे कार्यालय से संपर्क करें।